



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9388

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42475 / 2025

विजय उर्फ कारू.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : अनिल कुमार बिंद, हिमांशु कश्यप

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि उसे पुलिस थाना कंपिल, जिला फर्रुखाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 49/ 2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज प्रतिवादी क्रियाकलाप (निवारण)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) के तहत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में गैंगचार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को गैंगचार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है, तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में सूचीबद्ध किसी भी गिरोह की गतिविधियों में न तो उकसाया है और न ही कोई सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 04.10.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण, विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** के मामले में पारित विनिश्चय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत की अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए गैंगचार्ट में दर्शाए गए मामले के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला भी नहीं बता सके।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंधों पर भी विचार करते हुए और मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः आवेदक **विजय उर्फ कारू** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए -

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, को प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर (i) मामले का प्रारंभ, (ii) आरोप की विरचना तथा (iii) कथन के अभिलेखन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक को इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करना होगा कि साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के भंग होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित होकर, अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

14 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।